

प्राचार्य का कार्यालय, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, बाँकीपुर पटना।

मासिक भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु निविदा

सरकार के संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के आदेश संख्या-844(1) दिनांक-26.07.2017 के आलोक में प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल बाँकीपुर, पटना को सरकारी कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यहित में मासिक भाड़े पर वाहन, जिसका निबंधन वाणिज्यक वाहन के रूप में हो, की आपूर्ति हेतु निबंधित संस्थानों/फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर केवल निबंधित/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त किया जाएगा। निविदा अंतिम दिन पाँच बजे संध्या तक स्वीकार की जाएगी। अंतिम तिथि को रविवार/अवकाश रहने की स्थिति में अगले दिन पाँच बजे संध्या तक निविदा स्वीकार की जाएगी। उसके बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा अंतिम तिथि के अगले दिन कार्य दिवस को 12:30 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में देना होगा। निविदा की शर्तें पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के वेबसाईट. <https://www.patnodentalcollege.in> पर या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है। जमानत की राशि रू0 15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र को डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्राचार्य पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के पदनाम से देय हो, तकनीकी निविदा के साथ जमा करना होगा।

RKGupta
03.07.21
प्राचार्य

पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल,
बाँकीपुर, पटना।

21/07
03.07.21

तकनीकी निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को कम से कम एक वर्ष तक केन्द्र/राज्य सरकार/ अर्द्धसरकारी संस्थान/निगम आदि में समान प्रकृति का कार्यानुभव होना अनिवार्य है।
2. निविदादाता फर्म/संस्थान GST के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए।
3. निविदादाता निम्न कागजात के स्वअभिप्रमाणित प्रति क्रमानुसार निविदा कि साथ संलग्न करेंगे।
 1. 15,000/- रूपया का बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के पक्ष में देय हो।
 2. GST निबंधन की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति।
 3. GST के मई, 2021 के रिटर्न्स (GST returns for May, 2021) की छायाप्रति।
 4. PAN कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति।
 5. केन्द्र/राज्य सरकार/ अर्द्धसरकारी संस्थान/निगम या किसी भी संस्थान के द्वारा काली सुची में दर्ज नही होने का Notarized Affidavit.
 6. संस्थान द्वारा निविदा में दर्शाये गए सभी शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित स्व-घोषणापत्र।
 7. सभी पृष्ठों पर संस्थान का मुहर एवं हस्ताक्षर होना चाहिए।
 8. वित्तीय वर्ष 2018-19 या 2019-20 के लिए दाखिल किये गए आयकर विवरणी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
 9. निविदादाता तकनीकी निविदा से संबंधित सभी कागजात एक लिफाफा में रखकर उसे सील बंद करते हुए लिफाफा के उपर "पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में वाहन आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा लिखेंगे एवं प्रारूप 'क' में दर वर्णित कर इसे एक दुसरे लिफाफा में रखकर सील बंद करते हुए लिफाफा के उपर "पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा" लिखेंगे तत्पश्चात् तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को एक बड़े लिफाफा में डाल कर "पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में वाहन आपूर्ति हेतु निविदा" अंकित करेंगे एवं बड़े लिफाफा के दाए ओर पता प्राचार्य पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना-800004 एवं बाए ओर फर्म का नाम अंकित करेंगे।
 10. निविदादाता सीलबंद निविदा इस तरह भेजेंगे कि प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय तक डाक शाखा में निविदा प्राप्त हो जाए। अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
 11. प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के पास निविदा रद्द करने, नियम एवं शर्तों को बदलने एवं इस निविदा से संबंधित हर तरह के निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।
 12. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

वाहन आपूर्तिकर्ता के दायित्व:-

1. संविदा के अनुरूप वाहन आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता पूर्ण सेवा दिए जाने पर सहमत होंगे।
2. संविदा के अपरूप वाहन आपूर्तिकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि वाहन एवं चालक की सेवा अधोहस्ताक्षरी को प्रतिदिन निश्चित किए समय पर उपलब्ध कराएँगे। 15 मिनट से ज्यादा बिलंब

RK

- होने पर अधोहस्ताक्षरी को अधिकार होगा कि अन्य वाहन की सेवा ले लेंगे एवं अन्य वाहन को भुगतान किए गए राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता से किया जाएगा।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता संविदा में लिखित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करेंगे।
 4. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किए गए वाहन का Maintenance एवं Serviceing, Duty Hours के बाद अथवा अवकाश के दिनों में अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत करेंगे।
 5. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किए गए वाहन को नियत स्थान एवं समय पर इंधन की टंकी फुल करके भेजेंगे।
 6. वाहन के किसी भी ब्रेक डाउन, रख रखाव एवं अनुरक्षण की स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने खर्च पर दूसरी व्यवस्था कर उसी मापदंड का वाहन उपलब्ध कराएंगे। उक्त स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसा सुनिश्चित नहीं किए जाने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को वैकल्पिक व्यवस्था करने में जो खर्च करना पड़ेगा उसकी वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता से की जाएगी।
 7. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए संविदा अनुबंध को अंशतः या पूर्णतः किसी अन्य आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंधित करने की छूट नहीं होगी।
 8. वाहन आपूर्तिकर्ता केवल Comprehensive Insurance वाले वाहन की ही सेवा प्रदान करेंगे।
 9. वाहन आपूर्तिकर्ता/चालक द्वारा लॉग बुक में प्रतिदिन आरंभिक कि०मी०, अंतिम कि०मी०, परिचालित दूरी अंकित करके वाहन का उपयोग करने वाले पदाधिकारी/कर्मि से हस्ताक्षर तुरंत प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं करने पर Penel Provisison Impose किया जाएगा।
 10. वाहन आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करेंगे।
 11. वाहन का निबंधन बिहार राज्य में व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए।
 12. आपूर्ति किये गए वाहन, आदेश निर्गत की तिथि से तीन साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किराये पर दिये जाने वाले वाहन के पास वैध वाहन निबंधन प्रमाण पत्र, Comprehensive Insurance third Party and Occupants के साथ, Pollution Under Control Certificate, Permit एवं अन्य प्रासंगिक लाइसेन्स/ Permit जो DTO एवं अन्य वैधानिक संस्था द्वारा व्यवसायिक परिचालन के लिए आवश्यक हो, होना चाहिए तथा उसका नवीकरण अनुबंध की समाप्ति की तिथि के पूर्व होनी चाहिए।
 13. किराये पर दिये जाने वाले वाहन पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति में, भीतर तथा बाहर से साफ होना चाहिए।
 14. वाहन आकस्मिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित होना चाहिए।
 15. यह सुनिश्चित हो कि वाहन के विद्युत कनेक्शन, लाइट, हौर्न, मोड़ सूचक लाइट एयर कंडीशनर एवं वाहन के अन्य उपकरणिय सिस्टम अच्छी स्थिति में हो तथा समय समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए विभाग को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
 16. वाहन को विभाग/पदाधिकारी/कर्मि द्वारा बताये गए नियत स्थान पर खडा होना चाहिये। यदि वाहन को पेट्रोल भरवाने, रिपेयरिंग इत्यादि के लिए बाहर ले जाने की जरूरत हो तो सेवा प्राप्तकर्ता को जानकारी में देकर ही ले जाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उस समय वाहन सेवा प्राप्तकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इसके लिये वाहन आपूर्तिकर्ता पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।
 17. वाहन में मोबाईल चार्जर तथा Air Purifier लगा होना चाहिए।
 18. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गए वाहन का RC, Insurance, PUC चालक के Driving Licence की छायाप्रति विभाग में जमा करना होगा।

RK

19. लॉग बुक पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना द्वारा कराये गए फारमेट मे Maintain करना पडेगा।

प्रतिनियुक्त चालक/कर्मि का दायित्व:-

वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक एवं कर्मि द्वारा संपादित कर्यो के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे-

1. चालक किसी हालत मे शराब पीकर एवं अन्य नशे मे धुत होकर कार्य पर उपस्थित नही होंगे।
2. चालक एवं कर्मि अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेंगे एवं दुसरे कर्मि से भी उनका व्यवहार विनम्रतापूर्वक होगा। ऐसा नही होने पर प्रतिनियुक्त चालक/कर्मि पर संविदा की शर्तो के अनुसार दण्ड अधिरोपीत किया जाएगा। ऐसा गलती बार-बार दोहराने पर सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।
3. चालक के पास एक मोबाइल वैध नं0 के साथ होना चाहिए। जिससे विभाग/पदाधिकारी कभी भी संपर्क कर सकते है। जिसपर होने वाला खर्च वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
4. प्रतिनियुक्त चालक के पास वाहन चालन का वैध लाइसेंस होना जरूरी है।
5. चालक साफ-सुथरी वर्दी पहनेंगे, यदि विभाग द्वारा नियत रंग की वर्दी पहनने का आदेश दिया जाए तो उसका अनुपालन करेंगे।
6. वाहन एवं चालक को तुरंत-तुरंत बदली नही किया जाना चाहिए। ऐसे किसी होने वाले बदलाव की सूचना पूर्व में ही वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जानी चाहिए।

नियमों का अनुपालन एवं कर

1. किराया चार्ज में सभी इंधन खर्च, अनुरक्षण कल-पूर्जों सहित एवं चालक तथा कर्मि का वेतन, बीमा का प्रीमियम, सड़क टैक्स सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर वाहन पर लगने वाला कर का भुगतान विभाग द्वारा वास्तविक भुगतान रसीद के आधार पर किया जाएगा।
2. वाहन आपूर्तिकर्ता प्रतिनियुक्त वाहन का व्यापक बीमा थर्ड पार्टी असीमित रिस्क के साथ लेगा। विभाग किसी भी दुर्घटना, आम जनता एवं थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेवार नही होगा।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता थर्ड पार्टी द्वारा किया गया दावा/वाहन दुर्घटना में वाहन पर सवार विभाग के कर्मि को होने वाले नुकसान के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
4. पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना चालक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नही करना/अन्य किसी भी नियमों का पालन चालक तथा वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा नही किया जाना, के लिए जिम्मेदार नही होगा। चालक एवं वाहन आपूर्तिकर्ता मोटर वाहन कानून के नियम एवं अधिनियम का पूर्णरूपेण अनुपालन करेंगे तथा वर्तमान एवं भविष्य में आने वाले सभी नियम अधिनियमों का पालन करेंगे। किसी भी त्रुटि के लिये विभाग जिम्मेवार नही होगा।
5. वाहन आपूर्तिकर्ता श्रम कानून विषेशकर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, Contract Labour (R&A) Act, Workmen Compensation Act etc. का अनुपालन यथा समय सुनिश्चित करेंगे। अतः उपर्युक्त नियमों का पालन करना वाहन आपूर्तिकर्ता की जिम्मेवारी होगी।
6. चालक के द्वारा किसी भी तरह की चोरी, दुर्व्यवहार इत्यादि के लिए वाहन आपूर्तिकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

RK

7. संविदा अवधि के दौरान यदि वाहन को आरक्षी/मोटर वाहन अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जब्त किया जाता है या रोक रखा जाता है तो इसकी जिम्मेवारी वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था प्रतिनियुक्त वाहन के अनुरूप या इससे उच्च श्रेणी का वाहन अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपलब्ध कराया जाएगा।
8. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किए गए वाहन को किसी भी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के निर्देश के बिना किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोग नहीं करेंगे। जितने दिन के लिए ऐसा करते पाए जाएंगे उससे दोगुने दिनों के लिए Pro-Rata Basis पर मासिक भाड़ा में से दण्ड स्वरूप राशि की कटौती की जाएगी।
9. प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित स्थान पर वाहन के पहुँचने पर परिचालन हेतु कि०मी० की गणना आरंभ कर विभाग द्वारा कार्य समाप्त होने के उपरांत वाहन को रात्रि ठहराव हेतु जाने का निदेश प्राप्त होने तक ही परिचालित कि०मी० की गणना की जाएगी। किसी भी स्थिति में शाम को कार्यस्थल से रात्रि ठहराव स्थल पर वाहन को ले जाने एवं सुबह रात्रि ठहराव स्थल से कार्यस्थल तक पहुँचने में परिचालित यात्रा का भुगतान पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना द्वारा नहीं किया जाएगा और न ही उसे लॉग बुक में अंकित किया जाएगा।
10. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा चालक को राज्य मोटर वाहन अधिनियम (अद्यतन संशोधित) के आलोक में वर्दी एवं फोटो पहचान पत्र अपने खर्च पर उपलब्ध कराया जाएगा।
11. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल जो नियमों के आलोक में हो समर्पित किया जाएगा एवं विभाग आपूर्तिकर्ता को बिल की राशि में, यदि दण्ड स्वरूप कोई कटौती किया जाना आवश्यक हो, उसकी कटौती करते हुए भुगतान करेगा।
12. Toll Tax, Octroi, Parking Charges and other statutory levies जो यात्रा के दौरान प्रभावी हो का भुगतान विभाग द्वारा प्रस्तुत बिल/कैस मेमो/मान्य साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा।

अतिरिक्त कि०मी० का भुगतान

1. प्रतिदिन नियत समय पर पदाधिकारी/कर्मि जब वाहन को कार्यालय कार्य के व्यवहार करना शुरू करेंगे उस समय का कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करेंगे एवं शाम को कार्यालय कार्य समाप्त होने के उपरांत पुनः कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करके संबंधित पदाधिकारी/कर्मि का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।
2. पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना द्वारा प्रतिमाह किए जाने वाले राशि में वाहन आपूर्तिकर्ता को 1000 कि०मी० तक के परिचालन के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। 1000 कि०मी० से अधिक परिचालन होने पर अतिरिक्त कि०मी० का प्रति कि०मी० की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता सप्ताहिक अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन को परिचालित करने हेतु चालक का वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने की स्थिति में पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना द्वारा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं ऐसा करने पर जो खर्च आएगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता को दिए जाने वाले मासिक भुगतान की राशि से की जाएगी।
4. मासिक भुगतान की राशि में से नियमानुसार GST-TDS, Income Tax-TDS एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित करों की विहित दरों से कटौती की जाएगी।

RKGupta
03.07.21
Principal

Patna Dental College & Hospital

Bankipur Patna.
03.07.21

Annexure-A

भड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा का प्रारूप

वित्तीय निविदा का प्रारूप (क) वाहन का मासिक दर (ईंधन एवं चालक सहित)			
क्रमांक	वाहन का विवरण	1000 कि०मी० प्रति माह दर (Without GST)	1000 कि०मी० के बाद प्रति कि०मी० दर (Without GST)
(क)	इनोवा, टाटा सफारी-ए०सी०	@ Rs.....	@ Rs.....
(ख)	स्कॉर्पियो ए०सी०	@ Rs.....	@ Rs.....
(ग)	इंडिगो, सिविफ्ट डिजायर -ए०सी०	@ Rs.....	@ Rs.....

निविदादाता का हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम.....

मुहर.....